

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थी:-

मनीराम उर्फ मुन्नाराम

तहसीलदार जोधपुर

अंतर्गत धारा 136 राज. काश्त. अधि.

प्राथना पत्र सं. 29 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
15/5/24	<p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 03/4/24 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)</p> <p>3-4-24</p> <p>पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दोरे पर है। दोरे कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 16-4-24 को पेश हो।</p>	
16/4/24	<p>पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दोरे पर है। दोरे कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27/5/24 को पेश हो।</p>	
27-5-24	<p>पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दोरे पर है। दोरे कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 12-6-24 को पेश हो।</p>	
12/6/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेकता प्रार्थी की वहल सुनी गई। आवेकता प्रार्थी ने वहल में प्रार्थना पत्र के अर्थों को दोहराते हुए निवेदन दिया कि प्रार्थना पत्र में ग्राम हेमनगर पटवार एल्डा जोलीग्रामी श्री अ. नि. क्षेत्र के रक के उल्लेखित अवसरों में कोटेदगी नामांतरण भरने सम्बन्ध प्रार्थी का नाम मनीराम के स्थान पर मुन्नाराम पुत्र राधेशरण दर्ज कर दिया है।</p> <p>इसने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न</p>	

दस्तावेजों का अध्ययन कर तैयार किया गया कि
मन्नीराम व मुन्नीराम एक ही व्यक्ति हैं।

उदा: गाँव हेमनगर तहसील व जिला जोधपुर
में शहर में खसरा नम्बर 318, 369, 253, 244, 245,
294 में शर्मा का नाम मन्नीराम इफ् मुन्नीराम पुत्र
आखरराम नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।
तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि
तदनुसार राजस्व रिटार्ड में इजाजत करे।

पत्रावली फॉल्लो शुमार होटर नम्बर से हम
होटर साहित फॉल्लो गो निर्गम कुले - आशालन में
सुनाया गया है।